



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,  
पो0-गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार-249404

संख्या : 379 /17/ई-2/स.ले./डी.आर./2012-13


दिनांक : 29 दिसम्बर, 2016

विज्ञप्ति/अनर्ह सूची

एतद्वारा विज्ञापन संख्या : ए-4/ई-2/2014-15 दिनांक 25 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित 'आबकारी विभागान्तर्गत सहायक लेखाकार एवं कनिष्ठ सम्प्रेक्षक परीक्षा-2014' के क्रम में आयोजित मुख्य परीक्षा दिनांक 02 एवं 03 अप्रैल, 2016 में सम्मिलित होने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारणों से अनर्ह किया गया है -

क्र. सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/कु./श्रीमती)	अनर्हता का कारण (Cause of Rejection)
1	110227	NEHA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ कोई भी अभिलेख संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी विज्ञापन के अतिमहत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-8 "ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के पश्चात् उसके प्रिंट आउट के साथ स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों (आवेदन पत्र में दावित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) की छायाप्रति भी निर्धारित तिथि दिनांक 30 मार्च, 2015 तक आयोग कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। प्रिंटआउट की प्रति (वांछित अभिलेखों के साथ) उपलब्ध न कराये जाने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।" की महत्वपूर्ण शर्त को पूर्ण न कर पाने के कारण अनर्ह।
2	111312	PRASHANT SINGH BISHT	अभ्यर्थी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में कार्यरत हैं। अतः अभ्यर्थी के राज्याधीन सेवा में सेवारत न होने के कारण प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह।
3	111318	SURYA PRAKASH GHILDIYAL	अभ्यर्थी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में कार्यरत हैं। अतः अभ्यर्थी के राज्याधीन सेवा में सेवारत न होने के कारण प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह।
4	111515	SANGEETA	अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित बी.कॉम अन्तिम वर्ष की अंकतालिका से स्नातक में लेखाशास्त्र का विषय के रूप में होना स्पष्ट न होने के कारण अनर्ह।
5	112126	KADIR AHMAD	अभ्यर्थी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में कार्यरत हैं। अतः अभ्यर्थी के राज्याधीन सेवा में सेवारत न होने के कारण प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह।
6	112315	NARENDRA NATH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ कोई भी अभिलेख संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी विज्ञापन के अतिमहत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-8 "ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के पश्चात् उसके प्रिंट आउट के साथ स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों (आवेदन पत्र में दावित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) की छायाप्रति भी निर्धारित तिथि दिनांक 30 मार्च, 2015 तक आयोग कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। प्रिंटआउट की प्रति (वांछित अभिलेखों के साथ) उपलब्ध न कराये जाने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।" की महत्वपूर्ण शर्त को पूर्ण न कर पाने के कारण अनर्ह।

उक्तानुसार अनर्ह अभ्यर्थी दिनांक 20 जनवरी, 2017 सांय 06:00 बजे तक अपना प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार, पिन-249404 को डाक द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

  
(गिरधारी सिंह रावत)  
संयुक्त सचिव।